बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

कार्यालय आदेश

मद सं0:–153:25

विषयः– **प्रमादी राईस मिलरों से बकाया सी0एम0आर0 की राशि के साथ भारित ब्याज की वसूली करने के संबंध में।**

राज्य सरकार के निर्णयानुसार अधिप्राप्ति में क्रय किये गये धान को मिलिंग कराने हेतु राईस मिलरों के साथ बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष खरीफ विपणन मौसम 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में मिलिंग हेतु एकरारनामा किया गया था। उक्त वर्षों में लगभग कुल 2002 राईस मिलरों द्वारा प्राप्त धान के विरूद्ध 748026.94 एम0टी0 सी0एम0आर0 चावल भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर जमा नहीं किया गया, जिसकी आंकलित राशि 1573.44 करोड़ रू0 मिलरों से वसूल की जानी थी। इसके अतिरिक्त बकाया सी0एम0आर0 की उक्त राशि पर 18 प्रतिशत साधारण ब्याज की राशि भी प्रमादी मिलरों से वसूली की जानी है। इसके विरूद्ध प्रमादी मिलरों से अद्यतन 350.62 करोड़ रू0 की वसूली हुई है।

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार एवं बैंकों से ऋण लेकर अधिप्राप्ति का कार्य किया जाता है। बैंक से लिये गये ऋण पर सर्वप्रथम ब्याज के मद में राशि की वसूली बैंकों द्वारा की जाती है। अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के प्रमादी मिलरों के विरूद्ध राशि की वसूली हेतु निगम द्वारा नीलामपत्रवाद दायर किया गया है, जिसमें सी0एम0आर0 प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद से नीलामपत्रवाद दायर होने की तिथि तक 18 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की राशि का भी दावा निगम द्वारा किया गया है। जिन प्रमादी मिलरों द्वारा राशि जमा की जा रही है, उससे प्रथमतः ब्याज की वसूली किया जाना निगम के हित में प्रतीत होता है।

प्रमादी मिलरों से वसूलनीय राशि पर ब्याज की गणना अधिप्राप्ति वर्ष के लिए सी0एम0आर0 जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद से नीलामपत्रवाद दायर होने की तिथि तक 18 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से करने एवं कुल वसूलनीय राशि में प्रथमतः ब्याज की वसूली की स्वीकृति हेतु दिनांक 31.10.2017 को निगम निदेशक पर्षद की हुई बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ।

निगम निदेशक पर्षद की 150वीं बैठक के मद संख्या–150:18 में निगम निदेशक पर्षद द्वारा लिया गया निर्णय निम्न प्रकार हैः–

"Deferred for legal opinion and shall be placed in next Board Meeting."

निदेशक पर्षद की 150वीं बैठक के मद संख्या–150:18 में प्राप्त निदेश के अनुपालन में निगम अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। निगम अधिवक्ता द्वारा ''अधिप्राप्ति वर्ष के लिए सी0एम0आर0 जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद से नीलामपत्रवाद दायर होने की तिथि तक 18 प्रतिशत साधारण ब्याज की गणना को न्यायोचित बतलाया गया है, जबकि मिलरों से ब्याज के मद में सर्वप्रथम वसूली को न्यायोचित नहीं बतलाया गया है।''

निगम अधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में अधिप्राप्ति वर्ष के लिए सी0एम0आर0 जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद से नीलामपत्रवाद दायर होने की तिथि तक 18 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना करने एवं प्रमादी मिलरों के विरूद्ध सी0एम0आर0 की मूल राशि के साथ–साथ 18 प्रतिशत ब्याज राशि हेतु दावा दायर करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निगम निदेशक पर्षद की दिनांक 06.08.2018 को हुई 153वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक– 27.09.2018 को निगम निदेशक पर्षद की हुई 154वीं बैठक में मद संख्या 153:25 द्वारा निगम निदेशक पर्षद द्वारा लिया गया निर्णय निम्न प्रकार हैः–

"The board discussed the matter and the agenda was approved unanimously"

लगातार.....

उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में प्रशासी विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विधि विभाग, बिहार पटना से सहमति प्राप्त की गयी। विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा उल्लेख किया गया है कि " प्रशासी विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में अजय कुमार सिंह के साथ की गयी एकरारनामे की प्रति दाखिल की गयी, जिसके कंडिका–14 में उल्लेख है कि एकरारनामा बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर करने पर या बिहार राज्य खाद्य निगम का सी0एम0आर0 या अन्य राशि बकाया होगा, तो सूद सहित 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वसूली होगी।

उपर्युक्त परिस्थितियों में एकरारनामा के अनुसार प्रमादी मिलरों के विरूद्ध 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से न्यायालय में अधियाचना पत्र दायर किया जा सकता है।"

अतः निदेशक पर्षद की दिनांक–27.09.2018 को 154वीं0 बैठक में मद सं0–153:25 में लिए गये निर्णय एवं विधिक परामर्श के आलोक में प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध बकाये सी0एम0आर0 की राशि की वसूली हेतु सी0एम0आर0 जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद से नीलामपत्रवाद दायर होने की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना करने एवं प्रमादी मिलरों के विरूद्ध सी0एम0आर0 की मूल राशि के साथ 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि हेतु दावा दायर करने की स्वीकृति दी जाती है।

निदेशक पर्षद की 154वीं0 बैठक में मद सं0–153:25 द्वारा अनुमोदित।

ह0/–
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः 06:04:22:01:2013 12588 दिनांक 07/12/18

प्रतिलिपिः 1. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/कम्पनी सचिव, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः 06:04:22:01:2013 12588 दिनांक 07/12/18

प्रतिलिपिः अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7/12/2018
प्रबंध निदेशक।

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 :
सोन भवनःवीर चन्द पटेल पथः पटना–1

कार्यालय आदेश

राज्य खाद्य निगम के गोदामों में दिनांक 01.4.2009 के प्रभाव से खाद्यान्न की होने वाली क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार से कमी की वसूली भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का उक्त वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित आर्थिक दर पर एवं तदनुसार वसूलनीय मूल राशि पर पूर्व प्रतिपादित नियम के आलोक में ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी / कार्मिक से तथा खाद्यान्न परिवहन के दौरान की गई क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार की कमी की वसूली परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता से करने का आदेश निगम मुख्यालय का ज्ञापांक 9442 दिनांक 03.11.09 द्वारा निर्गत है।

निगम मुख्यालय के ज्ञापांक 9442 दिनांक 03.11.09 द्वारा निर्गत उक्त आदेश की निगम निदेशक पर्षद की दिनाक 09.7.10 को हुई 132 बीं बैठक के मद संख्या 132.14 द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रबंध निदेशक 10.8.10

ज्ञापांक–6:01:2:1:2005– 7218 दिनांक– 10.8.10.

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार एवं झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक 10.8.10

ज्ञापांक–6:01:2:1:2005– 7218 दिनांक–10.8.10

प्रतिलिपि सभी प्रमुख / सभी उप प्रमुख / सभी डेस्क पदाधिकारी, निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी जिला प्रबंधक / सभी प्रभारी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार एवं झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक 10.8.10

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 :

सोन भवनः वीर चन्द पटेल पथ पटनाः 800001।

कार्यालय आदेश

राज्य खाद्य निगम,मुख्यालय पटना का ज्ञापांक 7339 दिनांक 24.11.01 के अनुसार निगम द्वारा किये जा रहे सभी प्रकार के ब्यापारों में दिनांक 24.11.01 के प्रभाव से किसी प्रकार की क्षति मान्य नहीं है। निगम के गोदामों में यदि किसी प्रकार की क्षति होती है,तो उसके मूल्य की वसूली खाद्यान्न के सामान्य जन वितरण प्रणाली के तहत निगम से निर्गत मूल्य पर गणना करके संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से की जाती है।

निगम के गोदामों में जिस किसी भी खाद्यान्न का उठाव कर भण्डारण एवं निर्गत किया जाता है, वे सभी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनामद के तहत आवंटित खाद्यान्न होते हैं। ऐसे में यदि किसी योजनामद के खाद्यान्न में क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार से कमी होती है,तो इसकी भरपाई अपने संसाधन से खाद्यान्न का क्रय कर करने हेतु निगम को विवश होना पड़ता है, तथा इसके लिये निगम को अपने संसाधन से भारतीय खाद्य निगम से उनके आर्थिक दरों पर खाद्यान्न का क्रय करने की वाध्यता होती है।

अतः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि निगम के गोदामों में दिनांक 01.4.09 के प्रभाव से यदि किसी भी प्रकार के खाद्यान्न में क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार से कोई कमी पायी जाती है, तो उसकी वसूली संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का निर्धारित आर्थिक दर पर की जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहेली अप्रील को प्रभावी आर्थिक दर राज्य खाद्य निगम में क्षति/गबन एव अन्य प्रकार से हुई कमी की वसूली हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष के लिये प्रभावी होगा ।

इसके अतिरिक्त खाद्यान्न का आर्थिक दर पर वसूलनीय मूल्य पर निगम द्वारा निर्धारित ब्याज की भी वसूली संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से पूर्व प्रतिपादित नियमों के आलोक में की जायेगी। वसूली का उक्त सिद्धान्त निगम के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ताओं द्वारा खाद्यान्न परिवहन के दौरान की गई क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार की कमी के लिये भी लागु माना जायेगा।

प्रबंध निदेशक। 3.11.09

ज्ञापांक–6:01:2:1:05– 9442 दिनांक–3/11/09

प्रतिलिपि सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार एवं झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक। 3.11.09

ज्ञापांक–6:01:2:1:05– 9442 दिनांक–3/11/09

प्रतिलिपि सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/सभी डेस्क पदाधिकारी/निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी प्रभारी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार एवं झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक। 3.11.09